न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 62/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. लक्ष्मीनारायण पुत्र देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

:------ अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र देवकरण जाति अहीर निवासी ईकरोटिया तहि0व कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:---- वादी/असल रेस्पो0

2 सहायक अभियन्ता ज0वि0वि0नि0 लिमिटेड कोटकासिम

3 उप पंजीयक कोटकासिम

4 राज0 राज्य जरिये तहसीलदार लैंड होल्डर कोटकासिम

5 पी0 एन0 बी0 शाखा कोटकासिम जिला अलवर जरिये शाखा प्रबन्धक पी0 एन0 बी0 कोटकासिम जिला अलवर

:---- रेस्पो0/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 30.5.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक - 01.03.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद संख्या 76/18 में पारित निर्णय दिनांक 30.5.2019 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद बाबत आराजी खसरा नम्बर 302, 303, 310, 462, 478 कुल किता 5 कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर वाके ग्राम ईकरोटिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

OPPO F9 Pro - © Lucky

तहसील कोटकासिम अंतिम तौर पर डिक्री किया गया है, जिसके खिलाफ प्रतिवादी असल ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

2 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि मौका रिपोर्ट कब्जे अनुसार नहीं बनाई गई है । स्वयं तहसीलदार मौके पर कुर्रे कायमी हेतु नहीं गया था । यह रिपोर्ट पटवारी हल्का और भू अभिलेख द्वारा साजबाज होकर तैयार की गई है । उक्त रिपोर्ट पर प्रार्थी अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है । अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं । विवादित आराजी का बंटवारा पूर्व में ही हो चुका है और पक्षकारान उसी बंटवारे अनुसार काबिज है । पूर्व बंटवारे अनुसार रिपोर्ट बनाने हेतु अपीलांट ने पटवारी से निवेदन किया था, परन्तु उसने गौर नहीं किया । विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

3 विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि कुर्रेजात रिपोर्ट रेकार्ड एवं मौके अनुसार बनाई गई है । इन्होंने प्राथमिक डिक्री की अपील नहीं की है । प्राथमिक डिक्री की अपील किये बिना अंतिम डिक्री की अपील मान्य नहीं है । प्राथमिक डिक्री की आपत्ति को अंतिम डिक्री की अपील में नहीं उठाया जा सकता । कुर्रेजात रिपोर्ट बनाने हेतु तहसीलदार के आदेश से पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक मौके पर गये हैं । तहसीलदार अपनी शक्ति को डेलीगेट करके अपने अधिनस्थ से कार्य करवा सकता है । कब्जा अनुसार तितम्बा काटा जा चुका है । पक्षकारान के कब्जा अनुसार खसरा नम्बर में बटा नम्बर डाले गये हैं । कुर्रेजात रिपोर्ट रेकार्ड एवं मौके अनुसार सही बनाई गई है । विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना की गई है । अतः अपील खारिज की जावे ।

4 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि 2017 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 690 में अभिनिर्धारित किया गया है कि विभाजन के नियम 18 से 21 आज्ञापक प्रकृति के हैं । इसलिये स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रस्तुत प्रकरण विभाजन का है । जिसमें हमें यह देखना है कि विभाजन की डिक्री पारित करने में विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना की गई है अथवा नहीं । कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 12.6.2018 के अवलोकन से सिद्ध है कि यह रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तहसीलदार के आदेश से मौके पर जाकर बनाई गई है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

OPPO F9 Pro - © Lucky